

पुलिस

अधीक्षक

जनपद

आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in



पत्र संख्या- 289/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 16.09.2024

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु दिनांक-16.09.2024 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना निजामाबाद: D-220 गैंग का सदस्य व हिस्ट्रीशीटर अपराधी अवैध असलहा व कारतूस के साथ गिरफ्तार।
गिरफ्तारी का विवरण -

अवगत कराना है कि दिनांक 16.09.24 को उ0नि0 प्रमोद कुमार सिंह चौकी प्रभारी फरिहा मय हमराह द्वारा चेकिंग के फरिहा नहर पुलिया से फरिहा दक्षिण बस्ती जाने वाली नहर पटरी रोड के पास एक व्यक्ति अलीहार पुत्र मंजूर सा0 सुराई थाना निजामाबाद आजमगढ़ उम्र करीब 50 वर्ष को एक अदद तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर का बरामद हुआ। अभियुक्त को उसके द्वारा किये गये अपराध अन्तर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का बोध कराकर समय 01.05 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त अलीहार उर्फ पिल्लू उपरोक्त : D-220 गैंग का सदस्य व थाना निजामाबाद का हिस्ट्रीशीटर है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना निजामाबाद पर मु0अ0सं0 461/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम अभियुक्त अलीहार उपरोक्त पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

आपराधिक इतिहास- (D-220 गैंग का सदस्य व HS No 15B)

1. मु0अ0सं0 84/22 धारा 3/5/8 गौवध नि0अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना निजामाबाद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 87/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना निजामाबाद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 427/23 धारा 3(1) गैगेस्टर एक्ट थाना निजामाबाद आजमगढ़
4. मु0अ0सं0 461/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना निजामाबाद आजमगढ़



02.थाना- तरवा: अवैध गांजा के साथ एक गिरफ्तार

अवगत कराना है कि आज दिनांक 16.09.24 को उ०नि० रतन कुमार सिंह मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान ग्राम खजुरा फुलाईच से माता चनरादेवी इण्टर कालेज से एक व्यक्ति मधुरंजन गोड़ पुत्र रामनिवास गोड़ सा० अराजी फुलाईच थाना तरवां जनपद आजमगढ को 1 किलो .200 ग्राम नाजायज के साथ समय करीब 07.45 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु०अ०सं० 268/24 धारा 8/20 NDPS ACT पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा० न्यायालय किया गया।

आपराधिक इतिहास- मधुरंजन गोड़ पुत्र रामनिवास गोड़

क्र.सं. मु०अ०सं० धारा थाना जनपद

1- 268/24 8/20 NDPS ACT तरवा आजमगढ

2 - 825/19380, 411, 457 भादवि रोबर्टसगंज सोनभद्र



03. थाना- कन्धरापुर: दहेज उत्पीड़न में एक आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरण- अवगत कराना है कि दिनांक 16.12.2023 को वादिनी मुकदमा थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी थी कि प्रतिवादीगण द्वारा दहेज में बुलेट मोटर साईकिल व चैन न मिलने पर प्रताडित कर मारपीट किया गया तथा पति संजय द्वारा क्रूरता पूर्वक व्यवहार किया गया, वादिनी गर्भवती होने पर साजिश कर दवा खिलाकर गर्भपात करवाया गया तथा पति के बाहर चले जाने पर घर में घुसकर देवर शिवम द्वारा दुष्कर्म किया गया, सास और ससुर से कहने पर गाली दी गयी, के सम्बन्ध में थाना कंधरापुर पर मु०अ०सं० 373/2023 धारा 498A/376/377/313/323/504 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट बनाम 1. संजय कुमार सिंह पुत्र शोभनाथ सिंह (पति) 2. शोभनाथ सिंह पुत्र अज्ञात (ससुर) 3. सुनीता सिंह पत्नी शोभनाथ सिंह (सास) 4. शुभम सिंह पुत्र शोभनाथ सिंह (देवर) 5. शिवम सिंह पुत्र शोभनाथ सिंह (देवर) समस्त सा० कम्हेनपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ के विरुद्ध दिनांक 16.12.2023 को थाना स्थानीय पर पंजीकृत किया गया।

➡बाद विवेचना धारा 377/313 भादवि की घटोत्तरी की गयी तथा अभियुक्त 1. संजय कुमार सिंह पुत्र शोभनाथ सिंह (पति) 2. शोभनाथ सिंह पुत्र अज्ञात (ससुर) 3. सुनीता सिंह पत्नी शोभनाथ सिंह (सास) 4. शुभम सिंह पुत्र शोभनाथ सिंह (देवर) निवासीगण ग्राम कम्हेनपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ के विरुद्ध धारा 498ए/323/504 भादवि 3/4डीपी एक्ट में धारा 41(1) सीआरपीसी की नोटिस तामील करायी गयी।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 16.09.2024 को प्र० निरीक्षक रूद्रभान पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त शिवम सिंह पुत्र शोभनाथ सिंह ग्राम कम्हेनपुर थाना कन्धरापुर आजमगढ को भँवरनाथ के पास से समय करीब 09.25 बजे हिरासत पुलिस लिया गया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा० न्यायालय किया गया।



04.थाना दीदारगंज: किशोरी के साथ छेड़खानी करने वाला गिरफ्तार

पूर्व का विवरण- अवगत कराना है कि दिनांक- 14.09.24 को वादिनी मुकदमा थाना दीदारगंज आजमगढ़ ने थाना दीदारगंज पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी मो० फहीम पुत्र मैनुद्दीन ग्राम चरौवा थाना दीदारगंज आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष द्वारा वादी की नाबालिक लड़की के साथ छेड़खानी की गयी, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०स० 237/24 धारा 333,74 बीएनएस व 7/8 पास्को एक्ट बनाम फहीम पुत्र मैनुद्दीन ग्राम चरौवा थाना दीदारगंज आजमगढ़ पंजीकृत हुआ था जिसमें अभियुक्त उपरोक्त फरार चल रहा था

गिरफ्तारी का विवरण:- दिनांक- 16.09.24 उ०नि० नागेन्द्र पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त मो० फहीम पुत्र मैनुद्दीन ग्राम चरौवा थाना दीदारगंज आजमगढ़ को पल्थी तिराहे के पास से समय 6.30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा० न्यायालय किया गया।



05. थाना- कोतवाली: चोरी की 04 साइकिल के साथ अभियुक्त गिरफ्तार ।

अवगत करना है कि दिनांक- 15.09.2024 को उपनिरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद पटेल मय हमराह चेकिंग केक दौरान अभियुक्त रोहित कुमार पुत्र जीवन लाल निवासी डीएवी काशीराम आवास थाना कोतवाली आजमगढ़ उम्र 28 वर्ष को चोरी की 04 साइकिल के साथ समय 13.15 बजे गौशाला मंदिर पहाड़पुर से नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग –

1- मु0अ0सं0 513/24 धारा 317(2),317(4),317(5) बीएनएस थाना कोतवाली आजमगढ़
आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 513/24 धारा 317(2),317(4),317(5) बीएनएस
2. मु0अ0सं0 69/22 धारा 60 आबकारी अधि. थाना कोतवाली आजमगढ़



06.थाना सरायमीर: पीड़िता को अगवा कर आत्महत्या के लिये उकसाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

अवगत कराना है कि दिनांक 14.09.2024 को वादी मुकदमा मुन्नालाल पुत्र कान्ता राम ग्राम बरवा रसूलपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि मेरी भतीजी उपरोक्त उम्र करीब 16 वर्ष जो कल दिनांक 13/9/24 को समय दोपहर 12.00 बजे बस्ती चौराहा पर जाति निवास प्रमाण पत्र बनवाने गयी थी। वहाँ से नीरज कुमार पुत्र सुबाष चन्द निवासी मुडियार थाना फूलपुर कोतवाली जनपद आजमगढ़ द्वारा बहला फूसला कर भगा ले गये। जब मैं और मेरे परिजन द्वारा फोन पर पूछा गया तो नीरज कुमार ने बताया कि मुझे नहीं पता है। जब आज मैं दुबारा इनसे फोन पर पूछा तो कह रहे है कि मैं ले गया था और लाकर छोड़ दिया हमलोग पूरा परिवार उसको खोज कर परेशान हो गये। लेकिन मिली नहीं जबकि नीरज कुमार के साथ मैं ही लड़की की शादी लगभग 2 साल पहले ही तय था। ये लोग आपस में बात करते थे, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 486/2024 धारा 137(2)/87 बीएनएस बनाम नीरज कुमार पुत्र सुबाष चन्द निवासी मुडियार थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध अभियोज पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 16.09.2024 उ0नि0 वासुदेव साहनी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त नीरज कुमार पुत्र सुबाष चन्द निवासी मुडियार थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ 19 वर्ष को करछा जाने वाले मार्ग मुख्य सड़क के पास से समय करिब 14.10 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0- 486/2024 धारा 137(2)/87 बीएनएस थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़, विवेचना के आधार पर 107 बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. नीरज कुमार पुत्र सुबाष चन्द निवासी मुडियार थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ 19 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाले टीम-

1. उ0नि0 वासुदेव साहनी, थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

